

रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक

महोदय जी जमाबंदी संवत् 2078 जमाबंदी ग्राम मिठडिया के खता सं. 172 में फूलाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवंशी राब देह शतदेवार दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी संवत् 2062-65 के खता सं. 260 में नाम सं. सत्यनारा 1111 दि. 05/07/2008 के द्वारा भूमि सत्यनारायण पुत्र हरदेवा जाति मेघवाल (चमार) सां रोहतक (611/1) श्याम कोलेनी तह. रोहतक जिला रोहतक (हरियाणा) शतदेवार के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात समस्त जमाबंदियों में फूलाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवंशी के नाम से दर्ज रिकार्ड रहा। अतः फूलाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवंशी के स्थान पर

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट परवारी तथा भू-अभिलेख निरीक्षक के अनुसार फूलाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवंशी के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र हरदेवा जाति मेघवाल (चमार) सां रोहतक (611/1) श्याम कोलेनी तह. रोहतक जिला रोहतक (हरियाणा) शतदेवार दर्ज किया जाना उचित है अतः शुद्धि की अनुशंसा की जाती है।

सत्यनारायण पुत्र हरदेवा जाति मेघवाल (चमार) सां रोहतक (611/1) श्याम कोलेनी तह. रोहतक जिला रोहतक (हरियाणा) शतदेवार दर्ज किया जाना उचित है। रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु दाखल शसुत है।

आदेश

3-12-021  
तहसीलदार  
लूनकरनसर

मु.नं. 34/2022  
18-2-2022

परामर्शी पेश हुई। रजि. की जाते। अक्टोबर दिनांक 18 मु.नं. 34/2022 / भू. अ. नि. / तहसीलदार अनुशंका दुबली के आदेश दिने जाते हैं। जिला की जाति की पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को उचित है। परामर्शी निष्पत्ति से शुभारंभ हेतु ए.व. जाति रजि. रफ्तार है।



लूनकरनसर  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
लूनकरनसर

